राजस्थान सरकार

न्यायालय उपखण्ड मजिस्ट्रेट बिजौलियां, जिला भीलवाड़ा (राज.)

पीठासीन अधिकारी :– श्रीमान् अजीत सिंह राठौड़ (RAS)

प्रकरण संख्या 198/2023 दायर तारीख 28/12/2023

अनवान

01. रामस्वरूप उर्फ रामपाल पिता श्री मोडू लाल जी जाति अहिर उम्र वयस्क निवासी बिजन बावड़ी के सामने बिजौलियां थाना बिजौलियां जिला भीलवाड़ा , (राज0)

.....प्रार्थी

बनाम

01. दीपक पुत्र श्री रामस्वरूप अहिर उम्र बालिग निवासी बिजन बावड़ी के सामने बिजौलियां थाना बिजौलियां जिला भीलवाड़ा।
02. प्रियंका पत्नी श्री दीपक अहिर उम्र बालिग निवासी बिजन बावड़ी के सामने बिजौलियां थाना बिजौलियां जिला भीलवाड़ा।
03. रवि पुत्र श्री रामस्वरूप अहिर उम्र बालिग निवासी बिजन बावड़ी के सामने बिजौलियां थाना बिजौलियां जिला भीलवाड़ा।
04. जगदीश चन्द्र पुत्र श्री रामस्वरूप अहिर उम्र बालिग निवासी बिजन बावड़ी के सामने बिजौलियां थाना बिजौलियां जिला भीलवाड़ा।

.....विपक्षीगण

उपस्थित :– –श्री जगदीशचन्द्र विजयवर्गीय – अधिवक्ता प्रार्थी
श्री परवेज आलम – अधिवक्ता विपक्षीगण(1,2)

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा माता–पिता और वरिष्ठ नागरिकों का भरणपोषण तथा कल्याण अधिनियम, 2007

–: निर्णय :–

दिनांक :– 25/11/2025

प्रार्थना पत्र दिनांक 28.12.2023 को न्यायालय में पेश हुआ जिसे दर्ज रजिस्टर कर विपक्षीगणों को तामील प्रेषित की गई। प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार हैं कि मैं रामस्वरूप उर्फ रामलाल पुत्र श्री मोडू उम्र 62 साल निवासी बिजौलियां

01. मैं शपथ पूर्वक निवेदन करता हु कि में व मेरी पत्नी वृद्ध है और दोनों बीमार रहते है मरे स्वामित्व का मकान ग्राम बिजोलिया के कोट के अन्दर स्थित है दो मंजिला बना हुआ है

मकान की प्रथम मंजिल पर मेरा पुत्र दीपक व उसकी पत्नी प्रियंका जबरन रह रही है कही बार खाली करने की कहा लेकिन मारपीट झगडा फसाद दोनों पुत्र पुत्र व पुत्रवधू करते है मेरे दो पुत्र रवि व जगदीश अलग रहते है यह चारो व्यक्ति हम दोनों पति पत्नी को गुजारा भत्ता भरण पोषण नहीं करते है और लडाई झगडा करते है।

2. में शपथ पूर्वक निवेदन करता है कि में व मेरी पत्नी वृद्ध होने से कोई कार्य नहीं करते है और मेरी दूसरी शादी उसके दो पुत्र है जिनसे विपक्षीगण चारो द्वेष रखते है और आये दिन गाली गलोच लडाई झगडा करते है मेरा बड़ा पुत्र दीपक के हड्डी का फेक्चर हुआ तब मेने सारा इलाज भीलवाडा हॉस्पिटल में कराया हॉस्पिटल का सारा खर्चा मेने दिया हिसाब की पर्ची पेश है बड़े पुत्र को मेने

उपखण्ड मजिस्ट्रेट
बिजौलियाँ जिला-भीलवाड़ा

पिक–अप जीप दिलाई जिसका पेमेंट मैंने ने किया जिसका हिसाब पेश है विपक्षीगण मुझे जीवन निर्वाह भत्ता नहीं देते है जिससे हमारा दोनों पति पत्नी का जीवन निर्वाह कठिन हो रहा है विपक्षीगण तीन पुत्र व पुत्रवधू हमसे अलग रहते है।

3. में शपथ पूर्वक निवेदन करता हु कि मकान की ऊपर की मंजिल पर दीपक व पुत्र वधु प्रियंका रहती है जो हम लोगो को ऊपर नहीं जाने देती है व नाल पर ताला लगाये रखती है और धमकी देती है की पीहर कोटा से गुंडे बुलाकर हाथ पैर तुडवा दूंगी। जीप व डी.जे. साउंड से 25000/– रुपये मासिक कमाता है पर कोई खर्चा नहीं देता है।

04 में शपथ पूर्वक निवेदन करता है कि पुरे मकान का नल बिजली का बिल में अदा करता हु विपक्षीगण एक पैसा नहीं देते है बिल चुकता नहीं करने की स्थिति में कभी भी बिजली कनेक्शन विच्छेद हो सकता है।

5. में शपथ पूर्वक निवेदन करता हु कि मकान श्री जगन्नाथ की के स्वामित्व का था जिसे मेरी माता सुन्दर बाई विधवा थी उसको बहिन होने के नाते वसीयत किया और उसके निधन पर मुझे वसीयत से अधिकार दिया रजिस्टर्ड वसीयत दिनांक 15/11/1965 की है इस प्रकार सम्पूर्ण जायदाद का में तन्हा मालिक हु और मेरी स्वअर्जित है और मकान का निर्माण भी मेरे द्वारा किया हुआ है विपक्षीगण का कोई हक अधिकार नहीं है और स्व अर्जित होने से एक मात्र मालिक में स्वयं हु और पुत्र दीपक व प्रियंका से खाली कराने का अधिकारी हूं। जो जमीन विक्रय की व मेरी स्वयं की जायदाद थी फिर भी मेने दोनों पुत्रो पर खर्च कर दी इस प्रकार विपक्षीगण का कोई हक अधिकार नहीं है।

6. में शपथ पूर्वक निवेदन करता हु कि सभी पुत्र कमाई करते है और हम दोनों पति पत्नी को कोई गुजारा भत्ता नहीं देते है जो उनका फर्ज बनता है व नहीं निभा रहे है अतः 10000/– दस हजार रुपये प्रतिमाह विपक्षीगण चारो से प्राप्त करने के अधिकारी है जो न्यायालय आप द्वारा दिलाया जाना वाजिब है और आवश्यक है।

7. में शपथ पूर्वक निवेदन करता हु कि प्रियंका ने मुझ पर पुलिस स्टेशन बिजोलिया में झूठा मुक़दमा लगाया और फिर धमकी देती है एक ही मकान में रहते है कभी भी झूठा मुक़दमा बलात्कार का लगा दूंगी इसलिए मकान में साथ नहीं रखना चाहते है।

अतः न्यायालय से नम्र निवेदन है कि वृदावस्था भरण पोषण के 10000/– मासिक व मकान खाली कराकर कब्ज़ा दिलवाने की कृपा करें।

विपक्षीगणों (1,2,3) की बाद तामील प्राप्त हुई जिन्हें संलग्न पत्रावली किया गया। विपक्षी 1 एवं 02 की और से अधिवक्ता परवेज आलम ने अधिकार पत्र पेश किया जो संलग्न पत्रावली है। पत्रावली को जवाब के स्तर पर रखा गया। पत्रावली में जबाब पेश हुआ जो निम्नलिखित है:–

01.यह कि प्रार्थनापत्र की कलम संख्या 1 स्वीकार है।

2. यह कि प्रार्थनापत्र की कलम संख्या 2 स्वीकार है।

न्यायालय उप जिला मजिस्ट्रेट बिजोलियाँ जिला-भीलवाड़ा सत्यमेव जयते

3. यह कि प्रार्थनापत्र की कलम संख्या 3 मे मात्र मकान के पडौस स्वीकार है शेष कथन अस्वीकार है। उक्त मकान प्रार्थी के स्वामीत्व व कब्जे का नहीं होकर उक्त मकान पुश्तेनी जायदाद है जिसमे विपक्षी संख्या 1 का जन्म से वारिसाना हक अधिकार होकर विपक्षी जन्म से उसमे निवास करता चला

उपखण्ड मजिस्ट्रेट
बिजोलियाँ जिला-भीलवाड़ा

आ रहा है। विपक्षी संख्या 1 व 2 ने कभी भी प्रार्थी के साथ किसी प्रकार की मारपीट नहीं की एंव ना ही वह ऐसा कृत्य करने की सोच रखते है। उल्टा प्रार्थी ने विपक्षी संख्या 1 जो कि विकलांग है व उसकी पत्नी के साथ लडाई झगडा कर दोनों के साथ मारपीट की जिससे आहत होकर विपक्षी संख्या 1 व 2 ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई जिस पर कार्यवाही करते हुए माननीय न्यायालय ने प्रार्थी को दण्डित कर पाबन्द किया। प्रार्थी ने उक्त कलम मे विपक्षी संख्या 2 के खिलाफ बलात्कार के मुकदमे मे फसाने का बेबुनियाद व सरासर झूठा आरोप लगाया है, विपक्षी संख्या 1 व 2 इस प्रकार झूठा मुकदमा अपने पिता के खिलाफ करने की कभी सोच भी नहीं सकते है विपक्षी के ऐसे संस्कार नहीं है।

4. यह कि प्रार्थना पत्र की कलम संख्या 4 गलत एंव झूठे तथ्यों पर आधारित होने से अस्वीकार है। विपक्षी संख्या 1 ने नाल मे लकडी का दरवाजा जरूर लगवाया है जो कि सुरक्षा की दृष्टि से लगवाया है जससे की अन्जान व्यक्ति व कुत्ते, बिल्ली घर मे प्रवेश नहीं कर सके उक्त दरवाजे पर कभी भी लगाया है एंव ना ही प्रार्थी को उक्त दरवाजे मे आने से रोका गया है।

5. यह कि प्रार्थनापत्र की कलम संख्या 5 जानकारी के आभाव मे अस्वीकार है। विपक्षी ने एक बार ही प्रार्थी पर पुलिस मे मारपीट लडाई झगडा करने की शिकायत दर्ज करवायी थी जिसमे प्रार्थी को दोषी मानते हुए न्यायालय द्वारा पाबन्द किया था।

6. यह कि प्रार्थनापत्र की कलम संख्या 6 मनगढन्त एंव झूठे तथ्यों पर आधारित होने से अस्वीकार है। विपक्षी संख्या 1 ने वाहन पिकअप खरीदी है परन्तु उक्त वाहन उसने लोन फाईनेन्स करवा कर खरीद की है जिसकी वह आज भी किश्ते अदा कर रहा है उक्त वाहन से प्रार्थी को कोई खास बचत नहीं होती है प्रार्थी जितना कमाता है वह वाहन के मेन्टेनेन्स मे ही खर्च हो जाता है। प्रार्थी संख्या । विकलांग व्यक्ति है वह स्ंनय कोई कार्य नहीं कर सकता है विपक्षी संख्या **1** की पत्नी विपक्षी संख्या **2** दूसरों के घर में खाना बनाती है जिससे होने वाली मामूली आय से अपना व अपने पति का भरण पोषण करती है। पार्थी व उसकी पत्नी पूर्ण रूप से स्वस्थ है जबकी विपक्षी संख्या **1** अक्सर बीमार रहता है व विकलांग होने से घर से बाहर भी नहीं निकलता है। विपक्षी संख्या **1** व **2** अपने पुश्तैनी मकान में मात्र **1** कमरे में विरासत से निवास कर रहे है।

7- यह कि प्रार्थनापत्र की कलम संख्या **7** का जवाब देने की जिम्मेदारी विपक्षी संख्या **1** व **2** की नहीं होकर जानकारी के आभाव में अस्वीकार है उक्त कलम का जवाब देने की जिम्मेदारी विपक्षी संख्या **3** व **4** की है।

न्यायालय उप जिला मजिस्ट्रेट बिजौलियाँ जिला-भीलवाड़ा सत्यमेव जयते

उपखण्ड मजिस्ट्रेट
बिजौलियाँ जिला-भीलवाड़ा

8- यह कि प्रार्थनापत्र की कलम संख्या **8** अस्वीकार है। धारा **125** दण्ड प्रक्रिया संहिता के प्रार्थनापत्र पर सुनवाई करने की अधिकारिता उक्त न्यायालय को प्राप्त नहीं है एवं ना ही मकान खाली कराने की अधिकारिता प्राप्त है क्षेत्रीय अधिकारिता के अभाव में प्रार्थनापत्र खारिज किये जाने योग्य है।

9- यह कि प्रार्थनापत्र की कलम संख्या **9** स्वीकार नहीं है। उक्त प्रार्थनापत्र पूर्ण कोर्ट फीस पर पेश नहीं किया गया है।

10- यह कि प्रार्थी ने झूठे एंव गलत निराधार तथ्यों को आधार बना कर शपथपत्र पेश किया है। अन्त में प्रार्थी ने न्यायालय से जो प्रार्थना की वह स्वीकार की जाने योग्य नहीं होने से अ. ब. स कालम में वर्णित अनुतोष प्रार्थी प्राप्त करने का अधिकारी नहीं होने से प्रार्थनापत्र सव्यय खारिज फरमाया जावे।

मजीद कथन

11- यह कि प्रार्थी ने विपक्षी संख्या **1** व **2** के विरूद्ध उक्त प्रार्थनापत्र रंजिशन मात्र उन्हें परेशान करने की गरज से पेश किया है। प्रार्थी ने दो विवाह किये है पहली पत्नी से प्रार्थी के **3** पुत्र हुए एंव दूसरी पत्नी से **2** पुत्र हुए। विपक्षी संख्या **1** को छोड कर प्रार्थी के **4** पुत्र वयस्क होकर अपना अच्छा व्यवसाय कर रहै है। प्रार्थी स्वय डी जे म्यूजिक का व्यवसाय करता है एंव डी जे साउण्ड का अच्छा मिस्त्री भी है जिसके पास डी जे साउण्ड ठीक कराने के लिये लोग आते है। प्रार्थी स्वय कार्य कर **20** से **25** हजार रूपये प्रति माह कमा लेता है। प्रार्थी ने अपनी दूसरी पत्नी जो कि विपक्षी संख्या **1** व **2** से रंजिश रखती है के बहकावे में आकर उक्त प्रार्थना पत्र पेश किया है।

12- यह कि विपक्षी संख्या **1** गम्भीर बीमारी से ग्रस्त है विपक्षी संख्या एक **9** वर्ष पूर्व कोई कार्य करते हुए दिवार से नीचे गिर गया था जिसकी वजह से उसके कुल्है कि हडडीयां टूट गई विपक्षी संख्या **1** का उसके पिता प्रार्थी ने उसका ईलाज समय पर नहीं करवाया जिसकी वजह से वह आज दिन तक भी स्वस्थ नहीं है विपक्षी संख्या **1** ने अपनी बचत एंव रिश्तेदारों के सहयोग एंव पत्नी के सहयोग से अपना ईलाज करवाया जिसमे विपक्षी संख्या **1** के कुल्हों का रिपलेस्मेन्ट हआ परन्तु वह भी पूर्णतया सफल नहीं रहा जिससे विपक्षी संख्या **1** हमेशा के लिये विकलांग हो गया जिसकी वजह से वह आज कोई भी कार्य करने लायक नहीं रहा वह आज भी बेसाखी के सहारे मात्र अपने नित्य कार्य करने के लिये चलता है। विपक्षी संख्या **1** की पत्नी विपक्षी संख्या **2** अन्य सक्षम लोगों के घर पर खाना बनाने का कार्य कर बडी मुशकिल से कुछ कमा पाती है जिससे वह अपना व अपने पति

उपखण्ड मजिस्ट्रेट
बिजौलियाँ जिला-भीलवाड़ा

विपक्षी संख्या 1 का भरण पोषण करती है विपक्षी संख्या 1 व 2 स्वंय अपना भरण पोषण बडी मुशकिल से कर पा रहै है कई बार विपक्षी के भूखे मरने की नोबत आ जाति है। विपक्षी संख्या 1 का ईलाज करीब 9 वर्ष से आज दिन तक भी चल रहा है ईलाज का सारा खर्च विपक्षी संख्या 1 की पत्नी कर्ज ले कर बडी मुशकिल से करवा रही है। विपक्षी संख्या 2 प्रार्थी की पुत्र वधू है एंव प्रार्थी के 4 वयस्क अन्य पुत्र और है विपक्षी संख्या 02 प्रार्थी के भरण पोषण के लिये जिम्मेदार नहीं है।

13. यह कि प्रार्थी विपक्षी संख्या 1 से ज्यादा हष्ट पुष्ट एंव स्वस्थ व्यक्ति है जो स्वय डीजे साउण्ड का व्यवसाय करता है एंव डीजे साउण्ड का अच्छा मिस्त्री होकर अपना व अपनी पत्नी का गुजारा करने मे पूर्ण रूप से सक्षम होकर अपनी दूसरी पत्नी के दो पुत्रों के साथ निवास कर रहा है। प्रार्थी ने करीब 10 वर्ष पूर्व 25 बीघा कृषि भूमि ग्राम मण्डोल की 58,00,000/– रूपये मे विक्रय की व बिजौलियाँ माईनिंग आफिस के पास प्लाट था जिसे 5,50,000/– रूपये मे विक्रय किया, विपक्षी संख्या 1 की दादी प्रार्थी की माता सरकारी हास्पीटल मे सेवारत थी जिनकी मृत्यु के बाद पेंशन की राशि भी प्रार्थी ने प्राप्त की उपरोक्त सम्पूर्ण आय से प्रार्थी ने विपक्षी संख्या 1 को कभी भी एक रूपये की सहायता नहीं कि ना ही विपक्षी संख्या 1 के ईलाज मे प्रार्थी ने एक रूपया ही खर्च किया प्रार्थी अपना भरण पोषण करने मे पूर्ण रूप से सक्षम है।

14. यह कि प्रार्थी आये दिन विपक्षी संख्या 1 व उसकी पत्नी विपक्षी संख्या 2 से अपनी दूसरी पत्नी जो कि विपक्षी संख्या 1 की सोतेली माता है के बहकावे मे आकर लडाई झगडा करता रहता है व उन्हें उनके पुश्तेनी मकान से निकालना चाहता है। पूर्व मे भी प्रार्थी ने विपक्षी संख्या 1 व उसकी पत्नी विपक्षी संख्या 2 के साथ लडाई झगडा कर उनके साथ मारपीट की जिसकी विपक्षी ने प्रार्थी के खिलाफ पुलिस थाना बिजौलियां मे रिपोर्ट दी जिसमे प्रार्थी को दोषी मानते हुए न्यायालय ने प्रार्थी को पाबन्द किया तब से प्रार्थी विपक्षी संख्या 1 व 2 से ज्यादा रंजिश रखने लगा व प्रार्थी विपक्षी संख्या 1 व 2 को ज्यादा परेशान व तंग करने लगा बिना वजह विपक्षी के साथ आये दिन लडाई झगडा कर गृह कलेश करता है व मकान से बाहर निकालने की धमकीयां देता है। प्रार्थी के चार अन्य पुत्र और है जिसमे दो पुत्र प्रार्थी की दूसरी पत्नी के है जो स्वंय अपना व्यवसाय कर अच्छा कमा लेते है प्रार्थी ने अपनी दूसरी पत्नी के पुत्रों को उक्त प्रकरण मे पक्षकार नहीं बनाया है इससे साफ जाहिर होता है कि प्रार्थी मात्र विपक्षी संख्या 1 व 2 से रंजिश रखता है एंव अपनी दूसरी पत्नी के बहकावे में आकर उक्त प्रकरण विपक्षी संख्या 1 व 2 के विरूद्ध दर्ज करवाया है। विपक्षी संख्या 1 व 2 गरीब व्यक्ति है जो कि अपना भरण पोषण बडी मुशकिल से कर पा रहे है । विपक्षी संख्या 1 हमेशा के लिये विकलांग हो गया है जिसके पास डाक्टर का विकलांग प्रमाणपत्र भी मोजूद है ऐसी सूरत मे विपक्षी संख्या 1 व 2 प्रार्थी को उसके सक्षम होते हुए भी भरण पोषण हेतु सक्षम नहीं है इसके विपरीत प्रार्थी अपने विकलांग पुत्र का भरण पोषण करने के लिये बाध्य है।

प्रार्थी द्वारा पेश जवाब मय मजीद कथन को संलग्न पत्रावली किया गया। पत्रावली को जवाबुल जवाब के स्तर पर रखा गया । प्रार्थी अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत जवाबुल जवाब को संलग्न पत्रावली किया गया। पत्रावली में संशांधित शीर्षक पेश हुआ जिसे संलग्न पत्रावली किया गया। पत्रावली को साक्ष्यवादी के स्तर पर रखा गया । साक्ष्य वादी में प्रार्थी रामस्वरूप के बयान लेखबद्ध किए गए जो संलग्न पत्रावली है। प्रार्थी ने बयानों में प्रार्थना में वही बातें

उपखण्ड मजिस्ट्रेट
बिजौलियाँ जिला-भीलवाड़ा

दोहराई जो प्रार्थना पत्र में अनुतोष चाहा गया है। प्रार्थी के बयानों पर जिरह की गई जो संलग्न पत्रावली है। साक्ष्यप्रतिवादी में दीपक बयान लेखबद्व किए जिसमें विपक्षी दीपक ने कबूल किया कि उसके ईलाज में उसके पिता द्वारा मदद की गई थी। साथ ही विपक्षी ने कबूल किया कि वह उसके पिता के मकान में निवास कर रहा है। जिरह साक्ष्यप्रतिवादी को संलग्न पत्रावली किया गया । पत्रावली को बहस के स्तर पर रखा गया।

पत्रावली में प्रस्तुत दस्तावेजों का अध्ययन किया गया। प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत लाईट के बिल , अस्पताल में खर्च की रसीदों एवं प्रार्थी के अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों को संलग्न पत्रावली कर अध्ययन/मनन किया गया। विपक्षी अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत समस्त दस्तावेजों का गहन अध्ययन/मनन किया गया। विपक्षी दीपक के विकलांग प्रमाण पत्र को संलग्न पत्रावली किया गयां। समस्त दस्तावेजों एवं तथ्यों को ध्यान में रखते हुए न्यायालय द्वारा आदेश दिए जाते हैं कि:–

–:आदेश:–

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा माता–पिता और वरिष्ठ नागरिकों का भरणपोषण तथा कल्याण अधिनियम, 2007 आंशिक रूप से स्वीकार कर आदेश पारित किए जाते हैं कि प्रार्थी रामस्वरूप उर्फ रामपाल अपने पुत्रों से आहार, वस्त्र, चिकित्सीय आवश्यकतों और एक सम्मानपूर्वक जीवन यापन करने के लिए भरणपोषण पाने का अधिकार रखता है प्रार्थी की संपत्ति विरासत में पुत्रों को प्राप्त होगी, साथ ही विपक्षी दीपक वर्तमान में भी प्रार्थी की संपत्ति का उपयोग/उपभोग कर रहा है एवं दीपक द्वारा अपने बयानों में स्वयं कबूल किया कि उसके ईलाज में उसके पिता/प्रार्थी द्वारा खर्च किया गया। प्रार्थी द्वारा अपने पुत्रों का लालन–पालन किया गया एवं वर्तमान में सभी पुत्र वयस्क होकर अपनी–अपनी आमदनी कर रहे हैं इसलिए प्रार्थी का भरण–पोषण करना समस्त पुत्रों का नैतिक दायित्व भी बनता है परन्तु विपक्षीगणों द्वारा अपने नैतिक कर्तव्यों का पालन नहीं करने के कारण प्रार्थी को न्यायालय में भरण–पोषण के लिए प्रार्थना पत्र पेश करना पड़ा इसलिए वर्तमान की आवश्कतों को देखते हुए न्यायालय प्रार्थी के पुत्रों को **मासिक 7500/–** रूपये की राशि भरण पोषण के रूप में प्रार्थी को हर माह की 10 तारीख से पूर्व देने के लिए पाबंद करती हैं, चूंकि विपक्षी के 02 पुत्र वर्तमान में प्रार्थी को अपने पास रखते है एवं प्रार्थी द्वारा उनसे किसी प्रकार का भरण पोषण नहीं चाहा गया है। अतः प्रार्थी द्वारा चाहे गए अनुसार विपक्षी/पुत्रों रवि, जगदीश को आदेश दिए जाते हैं कि प्रत्येक पुत्र हर माह की 10 तारीख से पूर्व अनुपातिक रूप से अपने हिस्से के **1500/– रूपये** की राशि प्रार्थी के बैक खाते में जमा करवाकर रसीद अपने पास सुरक्षित रखें। चूंकि विपक्षी संख्या 01 दीपक कुमार स्वयं 60 प्रतिशत विकलांगता से ग्रसित होने के कारण अपनी आजिविका के लिए पत्नि पर निर्भर है इसलिए विपक्षी 01 की विकलांगता को देखते हुए उसके हिस्से में आने वाले **1500 रूपये की बजाय 1000/–** रूपये ही प्रतिमाह प्रार्थी को देने के आदेश पारित किए जाते हैं । इस विपक्षी/पुत्रों दीपक, रवि, जगदीश द्वारा उक्त आदेश की पालना नहीं करने पर नियमानुसार कार्यवाही की जावेंगी। भरण–पोषण की राशि का भुगतान निर्णय दिनांक से किया जावें। विपक्षी दीपक, रवि, जगदीश को आदेश पालनार्थ तहरीर जारी हो। आदेश आज दिनांक 25/11/2025 को खुले न्यायालय में सुनाए गए। पत्रावली नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो।

न्यायालय उप जिला मजिस्ट्रेट बिजौलियां जिला-भीलवाड़ा सत्यमेव जयते

(अजीत सिंह राठौड़)
उपखण्ड मजिस्ट्रेट
बिजौलियां